न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 63/2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1– श्री अजितसिंह पुत्र श्री राजहंस सिंह, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल–07, मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर – खाद्यकोराबारकर्ता/वेंडर
स्थाई पता–गांव व पोस्ट–सगरा, सगरा, सगरा–भिंड, मध्यप्रदेश–477333

2– श्री पुट्टी श्रीनिवास राव पुत्र श्री पी0 मधुसूदन राव, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर – खाद्यकोराबारकर्ता/लाईसेन्सी
स्थाई पता–(1)– श्री पुट्टी श्रीनिवास राव पुत्र श्री मधुसूदन राव, साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, डोर नं0–24–08–02 पीवी राजू स्ट्रीट, रामानगर, गांधीनगर विजयवाड़ा–520003, आन्ध्रप्रदेश
(2)– श्री पुट्टी श्रीनिवास राव पुत्र श्री मधुसूदन राव, 40–25–56–57, फ्लेट नं0–201, रत्ना लक्ष्मी टॉवर, सेवानिकेतन रोड़, पाटामाता लंका, विजयवाड़ा (अर्बन)–कृष्णा, आंध्रप्रदेश–520010

3– मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर–305001 – फर्म
स्थाई पता–(1)– साई बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज (इंडिया) प्रा0लि0 01–08–450/डी/570, फर्स्ट फ्लोर, एमआईजी 570, इंडियन एयरलाईन्स कॉलोनी, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश–520010
(2)– साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, डोर नं0–24–08–02 पीवी राजू स्ट्रीट, रामनगर, गांधीनगर विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश–520003

........*अप्रार्थीगण*

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :
1–श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर
2–अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक–23.12.2022

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड एण्ड मिसब्राण्ड का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2021 को 04.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर पर पहूँचे श्री अजितसिंह पुत्र श्री राजहंस सिंह मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को प्लास्टिक कंटेनर में पैक्ड किया हुआ पेठा (आगरा फेमश पेठा) विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान पेठा (आगरा फेमश पेठा) में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जॉच हेतु चार पैकेट प्रत्येक 500–500 ग्राम कुल 2000 ग्राम पेठा (आगरा फेमश पेठा) वास्ते नमूना जॉच हेतु 320/– रूपये श्री अजितसिंह पुत्र श्री राजहंस सिंह को नगद देकर गवाह श्री विनोद कुमार, सामान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री अजितसिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 2000 ग्राम पेठा (आगरा फेमश पेठा) को चार कागज के खाली डिब्बों में बराबर बराबर भागों में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एनडब्ल्यूआर–809 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैबरिपोर्टस/एनडब्ल्यूआर–809 दिनांक 27.10.2021 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 400/एक्ट/2021/239 दिनांक 21.10.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया पेठा (आगरा फेमश पेठा) सब स्टेण्डर्ड एण्ड मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 12.10.2022 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री अजितसिंह व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.12.2022 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नियत पेशी दिनांक 23.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 श्री अजितसिंह स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि उपरोक्त त्रुटि निर्धारित नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश हुई है। अब भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। अप्रार्थी संख्या 1 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 श्री अजितसिंह ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पेठा (आगरा फेमश पेठा) सब स्टैण्डर्ड एण्ड मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक व मिथ्याछाप पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक व मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अभियुक्तगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 श्री अजितसिंह को रु 11000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये मात्र) एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री पुट्टी श्रीनिवास राव पुत्र श्री पी0 मधुसूदन राव, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर व अप्रर्थी संख्या 3 रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, मैसर्स–साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02/03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर प्रत्येक को रू 50,000/– (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.12.2022 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2022 / 1007-12 दिनांक : 13-2-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर

3- अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जवाहर सर्किल, जयपुर।

4- श्री अजितसिंह पुत्र श्री राजहंस सिंह, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल-07, मैसर्स-साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02 / 03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर

5- श्री पुट्टी श्रीनिवास राव पुत्र श्री पी0 मधुसूदन राव, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, मैसर्स-साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02 / 03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर

6- मैसर्स-साई बालाजी फूड कॉर्पोरेशन, प्लेटफॉर्म नं0 02 / 03, रेल्वे स्टेशन, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर